न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–113/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/113

अपीलाण्ट :–

मृतक नर्मदा उर्फ नाजु पुत्री स्वर्गीय गिरधारीलालजी के कायम मुकामात् रू–

1. कल्पेश पुत्र नर्मदा उर्फ नाजु
2. हितेश पुत्र नर्मदा उर्फ नाजु
3. उमा पुत्री नर्मदा उर्फ नाजु
4. शारदा पुत्री नर्मदा उर्फ नाजु जातिगण गुर्जर गौड़ ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम निम्बला, तहसील आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)

वनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. रतनलाल तथाकथित गोदपुत्र गिरधारीलालजी, जाति गुर्जर गौड ब्राहम्ण, निवासी ग्राम निम्बला, तहसील आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)
2. बदामी पुत्री स्वर्गीय गिरधारीलालजी पत्नी ओमजी, जाति गुर्जर गौड ब्राहम्ण, निवासी ग्राम हेमावास, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)
3. बींजराजसिंह पुत्र नेनसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी कुवारड़ा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)
4. उप तहसीलदार भाद्राजून, उप तहसील भाद्राजून, तहसील आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के अपील संख्या 36/2020 निर्णय दिनांक 31.07.2023

उपस्थिति :–
1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स.1 ।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30.09.2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर के प्रकरण संख्या 36/2022 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेसपोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की सुनी गई।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने वहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि–

अपीलाण्टस की ओर से विरूद्ध रेस्पोडेण्टस के अदालत मातेहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा कुवारड़ा, उप तहसील भाद्राजून के खसरा नम्वर 329 रकबा 1 हैक्टेयर एवं खसरा नम्वर 330 रकवा 1.13 हैक्टेयर कुल रकवा 2.13 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जिस कृषि भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का प्राकृतिक पिता किशनलाल पुत्र सालगरामजी एवं शेष 1/2 हिस्से का खातेदार अपीलाण्ट नर्मदा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पिता गिरधारीलाल पुत्र सालगरामजी, जातिगण गुर्जर गौड़ ब्राहम्ण, निवासीगण निम्वला थे एवं रहे अपीलाण्ट नर्मदा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पिता गिरधारीलालजी के कोई जायन्दा पुत्र न था, न रहा वो न है एवं उक्त गिरधारीलालजी की पत्नी पोनीदेवी का भी देहान्त दिनांक 01.03.2014 को हो चुका है जिससे उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का खातेदार गिरधारीलाल का देहान्त दिनांक 30.09.1984 को हो गया जिससे उक्त 1/2 हिस्से का खातेदार गिरधारीलालजी की मृत्यु के वक्त उक्त मृतक गिरधारीलालजी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची "अ" अनुसार उक्त गिरधारीलाल के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण बतौर जायन्दा पुत्रीया के अपीलाण्ट नर्मदा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 एवं बतौर वेवा के पोनीदेवी जीवित मौजूद थे एवं रहे तत्पश्चात् गिरधारीलाल की पत्नी पोनीदेवी का भी देहान्त दिनांक 01.03.2014 को हो गया जिससे उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार मृतक गिरधारीलालजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जायन्दा पुत्रीया अपीलाण्ट नर्मदा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ही थे, रहे एवं आज भी जीवित मौजूद है जो उक्त गिरधारीलालजी की 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि पर उक्त गिरधारीलालजी की मृत्यु के पश्चात् से आज दिन तक लगातार उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करती थी, रही एवं आज भी मौके पर काविज रह काश्त करती है। परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रतनलाल उर्फ (रतीया) पुत्र किशनलालजी तथाकथित गोदीपुत्र गिरधारीलालजी रेस्पोडेण्ट संख्या 4 उप तहसीलदार भाद्राजून से सांठ–गांठ व मिलावट कर कानून की मंशा के खिलाफ उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का मृतक खातेदार गिरधारीलाल पुत्र सालगरामजी के तमाम उत्तराधिकारीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची "अ" अनुसार विना जांच किये एवं मृतक खातेदार गिरधारीलाल के उत्तराधिकारी अपीलाण्ट नर्मदा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को सुनवाई का नोटिस देकर जवाब शहादत सुनवाई का अवसर नही दिया गया जो सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो अनुसार सुनवाई के आज्ञापक प्रावानो की मंशानुसार सुनवाई हेतु नोटिस अपीलाण्ट को दिया जाना कानूनन आवश्यक लाजमी था वो है जिस सुनवाई के आज्ञापक प्रावधानो की अवहेलना करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित 1 फर्जी एवं कुटरचित शुन्य **Void ab- initio & nonest** गोदनामा दिनांक 03.05.1972 के आधार पर मृतक खातेदार गिरधारीलाल के 1/2 हिस्से की भूमि में अपीलाण्ट नर्मदा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को अपने पिता से प्राप्त विरासती खातेदारी हक हकूक हिस्से की भूमि सहित सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि का म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 को रेस्पोडेण्ट संख्या 4

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

द्वारा कानून की मंशा के खिलाफ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अकेले के पक्ष में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की मंशा के खिलाफ स्वीकृत करने में अदालत मातेहत ने कानूनी वाक्याती गंभीर भूल की है जो काननून काबिल निरस्त के है। चूंकि अदालत मातेहत उप तहसील भाद्राजून रेस्पोडेण्ट संख्या 4 द्वारा सादिर म्युटेशन संख्या 48 स्वीकृत आदेश दिनांक 21.07.1992 को निरस्त करवाने हेतु अपीलाण्ट की ओर से अदालत मातेहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की परन्तु अदालत मातेहत द्वारा भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 का विना अवलोकन किये कानून की मंशा के खिलाफ अपील अपीलाण्ट खारिज करने में कानूनी वाक्याती गंभीर भूल की है जिससे दोनो ही अदालत मातेहतान उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा सादिर म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा सादिर आदेश दिनांक 31.07. 2023 के विरूद्ध अपीलाण्टस की ओर से हाजा अपील विरूद्ध रेस्पोडेण्टस के श्रीमान् के न्यायालय में अन्दर अवधि पेश है। अदालत मातेहतान उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा सादिर म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2023 कानून की मंशा के खिलाफ सादिर हुआ होने से कानूनन काबिल निरस्त के है एवं उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार मृतक गिरधारीलाल अपीलाण्ट नर्मदा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पिता होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची "अ" अनुसार मृतक खातेदार गिरधारीलाल के 1/2 हिस्से की भूमि में प्राप्त विरासती खातेदारी हक हकूक निस्बत् अपीलाण्ट नर्मदा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम म्युटेशन स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमाया जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी था वो है ऐसी कानून की मंशा है। म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 31.07.2023 की नकले प्रमाणित साथ पेश है। गिरधारीलाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 30.09.1984 एवं पोनीदेवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 01.03.2014 की नकले साथ पेश है।

अदालत मातेहत द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 सादिर के पूर्व आदेश जैर म्युटेशन में वर्णित आराजी के 12 हिस्से का खातेदार मृतक गिराधारीलालजी के हिन्दू उत्तराकिार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसूची "अ" अनुसार मृतक गिरधारीलाल के तमाम प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण की जांच किया जाना एवं जरिये नोटिस देकर जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिया जाना अदालत मातेहत के लिये आज्ञापक था जिस आज्ञापक प्रावधानो की अवहेलना करते हुए अदालत मातेहत द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 अपीलाण्ट को बिना जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना उत्तराधिकारी की बिना जांच किये कानून की मंशा के खिलाफ अपीलाधीन म्युटेशन सादिर किया गया है जो कानूनन काबिल निरस्त के है जिस कानून की अहम स्थिति को दोनो ही अदालत मातेहतान की पत्रावलियो के अवलोकन मात्र से स्पष्ट रोशन वो सावित था वो है उसके बावजूद दोनो ही अदालत मातेहतान द्वारा सादिर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 स्वीकृत दिनांक 21.07.1992 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा सादिर आदेश दिनांक 31.07.2023 कानूनन काबिल निरस्त के है।

अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 में वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पिता मृतक गिरधारीलाल पुत्र सालगरामजी था वो रहा जिससे उक्त 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार गिरधारीलाल की मृत्यु दिनांक 30.09.1984 के वक्त से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की मंशानुसार उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

मृतक गिरधारीलाल के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बतौर जायन्दा पुत्रीया एवं बेवा पोनीदेवी जीवित मौजूद थे। तत्पश्चात् गिरधारीलाल की बेवा जिनका देहान्त दिनांक 01.03.2014 को अपीलाधीन म्युटेशन पारित के पश्चात् हुआ है जिससे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 में वर्णित 1/2 हिस्से का खातेदार मृतक गिरधारीलाल के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची "अ" अनुसार मृतक के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी बतौर पुत्रीया अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 जीवित मौजूद होते हुए कानून की मंशा के खिलाफ शुन्य Void Ab-initio & Nonest गोदनामा दिनांक 03.05.1972 के आधार पर मृतक खातेदार गिरधारीलाल के 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी निस्बत् अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में सादिर किया जबकि उक्त 1/2 हिस्से की अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि में अपीलाण्ट नर्मदा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को प्राप्त विरासती खातेदारी हक हकूक निहित कानूनन थे रहे वो है जिस कानून की अहम स्थिति को अदालत मातेहतान द्वारा अनदेखा करते हुए अदालत मातेहत उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा म्युटेशन संख्या 48 स्वीकृत आदेश दिनांक 21.07.1992 के जरिये खातेदार मृतक गिरधारीलाल के 12 हिस्से की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम इन्द्राज करने में कानूनी गंभीर भूल की है जिस कानून की अहम स्थिति को दोनो ही अदालत मातेहतान द्वारा बिना विवेचन किये एवं बिना पत्रावली की अवलोकन अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 स्वीकृत आदेश दिनांक 21.07.1992 एवं आदेश दिनांक 31.07. 2023 कानून की मंशा के खिलाफ सादिर किये गये होने से भी उक्त दोनो अदालत मातेहतान द्वारा सादिर किये गये होने से भी उक्त दोनो अपीलाधीन आदेश कानूनन काबिल निरस्त के है।

अदालत मातेहत उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि निस्बत् बिना जवाब सुनवाई के अपीलाण्ट के पिता मृतक गिरधारीलालजी के 1/2 हिस्से की भूमि का शुन्य Void Ab-initio & Nonest म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में सादिर किया गया है, जिससे उक्त अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 एवं उक्त शुन्य म्युटेशन संख्या 48 के पश्चातवर्ती तमाम म्युटेशन एवं आदेश अपीलाधीन म्युटेशन में वर्णित आराजी में अपीलाण्ट के पुश्तैनी खातेदारी हक हकूक के विरूद्ध कानूनन बेअसर एवं शुन्य होकर अप्रभावी होने से ऐसे शुन्य एवं Void Ab-initio & Nonest म्युटेशन को चुनौती देकर निरस्त कराने की कानूनन कत्तई आवश्यकता नही है जिससे भी अदालत मातेहतान द्वारा सादिर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 एवं आदेश जैर अपील कानूनन काबिल निरस्त के है।

अपीलाण्ट के पिता मृतक गिरधारीलाल के 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि का अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 अदालत मातेहत उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा तथाकथित शुन्य फर्जी एवं कुटरचित गोदनामा दिनांक 03.05.1972 के आधार अपीलाण्ट की पुश्तैनी हक हकूक हिस्से की खातेदारी भूमि सहित रेस्पाडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में सादिर खिलाफ कानून किया गया है क्योकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा आपने पक्ष में निष्पादित तथाकथित शुन्य Void Ab-initio & Nonest फर्जी एवं कुटरचित गोदनामा दिनांक 03.05.1972 की वैधता को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट सावित नही करवा देता तब तक राजस्व न्यायालय या राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो द्वार गोदनामा के आधार पर म्युटेशन पारित कर राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज कानूनन नही किया जा सकता जिस कानून की अहम स्थिति के विपरित अपने क्षेत्राधिकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में खिलाफ कानून सादिर किया गया होने से भी अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 कानूनन काबिल निरस्त के है। अपीलाण्ट के पिता गिरधारीलालजी द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित तथाकथित शुन्य Void Ab-initio & Nonest गोदनामा दिनांक 03.05.1972 को सही भी मान लिया जाये तो मृतक खातेदार गिरधारीलाल के 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि में कानूनन 1/3 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा की भूमि के खातेदारी हक–हकूक का अपीलाीन म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 काननून रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में सादिर किया जा सकता था क्योकि गिरधारीलाल की मृत्यु के वक्त उक्त मृतक गिरधारीलाल के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 अनुसार वो जायन्दा पुत्रीया अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 जीवित मौजूद थी, रही वो है जिससे मृतक गिरधारीलाल के 1/2 हिस्से की भूमि में प्रत्येक के 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से की भूमि में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को विरासत में खातेदारी हक हकूक निहित कानूनन प्राप्त होते है जिस कानून की अहम स्थिति को अदालत मातेहतान द्वारा बिना गौर किये एवं बिना पत्रावली का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून सादिर किया जिससे भी अदालत मातेहत द्वारा सादिर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 एवं आदेश दिनांक 31.07.2023 कानूनन काबिल निरस्त के है।

अदालत मातेहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष अपीलाीन म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 के विरूद्ध अपील पेश करते वक्त अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा गलती से टंकणीय भूल से रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को अपील में पक्षकार वनाया गया था जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होने पर उक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को अपील पत्रावली से हटाये जाने बाबत् एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.02.2021 को पेश किया गया जो अदालत मातेहत की पत्रावली में सादिर आदेशिका दिनांक 26.02.2021 से 16.04.2021 से बखुब्बी रोशन वो साबित है परन्तु उक्त प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को अपील पत्रावली से हटाये जाने बाबत् को बिना निर्णित करते हुए आदेश जैर अपील खिलाफ सादिर किया गया है जिससे अपीलाण्ट की निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 3 में अपील पत्रावली से हटाया जाने का आदेश फरमाया जाना कानूनन आवश्यक एवं लाजमी है क्योकि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 में वर्णित आराजी में रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को कोई खातेदारी हक हकूक निहित न थे, न रहे वो न आज भी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का नाम हाजा अपील से हटाया जाने का आदेश फरमाया जाना कानूनन लाजमी है। चूंकि अदालत मातेहत द्वारा बावजूद अपीलाण्ट के निवेदन के रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का नाम अपील में से नहीं हटाया गया था जिससे उक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को हाजा अपील में कानूनी पैचेदगीया नही बढे की गरज से रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को औपचारिक फरिक मुकदमा के पक्षकार वनाया गया है जिसको हाजा अपील से कानूनन हटाया जाने का आदेश प्रदान किया जाना लाजमी है ऐसी कानून की मंशा है।

अतः अपील अपीलाण्टस विरूद्ध रेस्पोडेण्टस पेशकर निवेदन है कि अदालत मातेहत उप तहसील भाद्राजून के म्युटेशन संख्या 48 स्वीकृत आदेश दिनांक 21.07.1992 एवं अदालत मातेहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 31.07.2023 को निरस्त फरमायी जावे तथा अपील अपीलाण्ट मय खर्चा वो हर्जा के मंजूर फरमाते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 48 में वर्णित आराजी मौजा कुवारड़ा (कुआरड़ा) उप तहसील भाद्राजून, तहसील आहोर, जिला जालोर के खसरा नम्बर 329 रकवा 1 हैक्टर एवं खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नम्बर 330 रकबा 1.12 हैक्टर कुल रकबा 2.13 हैक्टर कृषि भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार मृतक गिरधारीलाल की अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 जायन्दा पुत्रीया होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की मंशानुसार गिरधारीलाल के 1/2 हिस्स की खातेदारी भूमि का विरासत म्युटेशन अपीलाण्टस वं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमावे।

वकील अपीलाण्ट द्वारा अपनी वहस में कथन किया कि मृतक गिरधारीलाल की दो पुत्रीया नर्मदा(का.मु. अपीलाण्ट) व वदामी (रेस्पो.2) जायन्दा दो पुत्रीयो का कथन किया है।

रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि–वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 श्री रतनलाल को मृतक गिरधारीलाल द्वारा दिनांक 10.07.1972 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद लेना वताया है। अतः तहसीलदार भू.अभिलेख अधिकारी स्तर पर यह निर्धारित किया जाना अपेक्षित है की जायज वारिस है जो भी जायन्दा एवं गोदशुदा है उनके नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 10.07.1972 में रजिस्टर्ड गोदपत्र में मृतक गिरधारीलाल की खाते की भूमि का विवरण अंकित कर उसे मालिक होना भी अंकित करने पर तत्कालिन जिला कलेक्टर (स्टाम्प) द्वारा दिनांक 30.06.1978 द्वारा कमी स्टाम्प की राशी वसूल की गई इस प्रकार यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड दान भी दी जा चुकी थी। यहां इस प्रकरण में देखना आवश्यक है कि यदि सम्पति पैतृक है तो सभी वारिसान का हक वनता है एवं एक व्यक्ति को दान नही दी सकती है। अतः तहसीलदार स्तर पर जो भी मृतक गिरधारीलाल के वारिस है उसकी जांच कर नामान्तरकरण भरा जावे। प्रार्थीगण / अपीलाण्ट्स ने उक्त प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत लिखे है, जो अस्वीकार है, जिसका जवाव यह है कि ग्राम कुआरडा तहसील आहोर जिला जालोर में स्थित खातेदारी भूमि वर्तमान खसरा नम्वर 330 रकवा 1.1300 हेक्टर व खसरा नम्वर 229 रकवा 1.5800 हैक्टर खातेदारी भूमि, जिसके पुराने खसरा नम्वर 182 कुल रकवा 14 वीघा 13 विस्वा थे। उक्त खातेदारी भूमि वर्तमान खसरा नम्वर 330 व वर्तमान खसरा नम्वर 229 पूर्व में एक ही खेत पुराने खसरा नम्वर 182 का भाग थी, जिसका वाद में आपस में वंटवाडा होने से अलग–अलग खसरा नम्वर की खातेदारी वनी, जिसमें वर्तमान खसरा नम्वर 330 अप्रार्थी रतनलाल के नाम है। उक्त खातेदारी भूमि स्व. श्री गिरधारीलालजी पुत्र सालगरामजी की स्वःअर्जित खातेदारी भूमि है तथा उक्त खातेदारी भूमि को कुआरडा के जागीरदार सेराजी परिवार के पूर्वजों ने स्व. गिरधारीलालजी को हरिद्वार में सामाजिक कार्य के लिए भेंट की थी, जो स्वःअर्जित थी तथा वाद में वंटवाडा होने के वाद उक्त खातेदारी भूमि में गिरधारीलालजी के रतनलाल गोदपुत्र होने से एवं उक्त खातेदारी भूमि का दान–पत्र, गोदनामा के साथ तकमील करवाकर रजिस्टर्ड करवाने से उक्त खातेदारी भूमि का म्यूटेशन गिरधारीलालजी के दिनांक 04.06.1987 को स्वर्गवास होने पर मुझ रतनलाल के नाम नामांतकरण विधिवत् रूप से पटवारीजी हल्का द्वारा भरकर, आर. आई. हल्का द्वारा सम्पूर्ण जांच करके सुनवाई करके उप तहसीलदारजी भाद्राजून द्वारा नामांतकरण, नामांतकरण संख्या 48 दिनांक 21.07.1992 को स्वीकृत हुआ है, जो एकदम सही व विधिवत् हुआ है तथा मौके पर वर्तमान में कब्जा काश्त भी मेरे रेस्पोडेण्ट रतनलाल का ही है।

20/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट रतनलाल को 11 वर्ष की उम्र में कक्षा छह में पढते समय स्वर्गीय श्री गिरधारीलाजी व उनकी पत्नी पोनीदेवी ने अप्रार्थी रतनलाल के माता–पिता की सहमति से गोद रतनलाल को लिया था तथा उसकी तमाम रस्म संवत् 2025 में माह माघ सुदी पूनम को गिरधारीलालजी के गोद में बिठाकर, साफा पहनाकर माफिक हिन्दू सामाजिक रिति–रिवाज परम्परा रूढी के अनुसार तमाम रस्म गांव के मौजीज लोगों के रू–ब–रू, रिश्तेदारों के रू–ब–रू व गांव के आस–पडौस के लोगों के रू–ब–रू गोद लिया था. जिसका गोदनामा दिनांक 03.5.1972 को तकमील करवाकर, उप–पंजीयक कार्यालय आहोर में दिनांक 03.05.1972 को प्रस्तुत किया व दिनांक 10.7.1972 को पंजीयन हुआ। अप्रार्थी रतनलाल स्व. गिरधारीलालजी का गोदपुत्र है तथा गिरधारीलालजी ने अपनी सम्पत्ति को दान–पत्र के जरिये सुपुर्द की है। उक्त गोदनामा के संबंध में प्रकरण न्यायालय उप पंजीयक कार्यालय यानि जिलाधीश जालोर के न्यायालय में चला तथा उसमें न्यायालय अप्रार्थीगण / रेस्पोडेण्ट सभी को म्यूटेशन को भरने व स्वीकृत करने के समय से ही ज्ञान व जानकारी है। म्यूटेशन भरने व स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट्स / रेस्पोडेण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या–02 बदामी देवी को सूचना देकर, सम्पूर्ण जांच करके ही म्यूटेशन स्वीकृत किया गया था जो आम लोगों की जानकारी है जो म्यूटेशन भरने व स्वीकृत करने के छब्बीस वर्षों बाद म्यूटेशन अपील श्रीमान् के न्यायालय में पेश की है, जो मयाद बाहर पेश की है। म्यूटेशन भरने व स्वीकृत करने के समय जानकारी व ज्ञान का बिन्दु मनगढंत रूप से गलत लिखा है ।

उक्त खातेदारी भूमि को गिरधारीलाल द्वारा दान–पत्र व गोदनामा तकमील करवाया, उस समय से ही खातेदारी हक आज से उनपचास वर्ष पहले प्राप्त हो गये थे तथा रतनलाल का सन् 1972 से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। गिरधारीलाल के जीवनकाल में गिरधारीलाल या उनकी पत्नी, अपीलाण्ट्स / रेस्पोडेण्ट संख्या–02 या अन्य किसी व्यक्ति ने कभी–भी उक्त गोदनामा/दान–पत्र को चौलेंज नहीं दिया है तथा न्यायालय जिलाधीश जालोर के यहां स्वयं गिरधारीलाल ने गोदनामा को दान–पत्र को मानने के संबंध में पैरवी की थी व गिरधारीलालजी को ज्ञान था, जिससे उक्त गोदनामा व दान–पत्र कानूनन वैध है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आरआटी 2019(1ळ पेज न. 648, डीएनजे 2018(1) पेज न. 833 तथा आरआरडी 1976 पेज न. 10 प्रस्तुत किय प्रस्तुत किये । अब अपीलाण्ट / प्रार्थीगण की नियत में खोट आ जाने से, रतनलाल की सम्पत्ति खातेदारी दबाने के लिए भूमि को नाजायज तरीके से गलत व मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील प्रार्थना पत्र पेश किया है। मौके पर अपीलाण्ट्स का उक्त खातेदारी भूमि में कभी–भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न हीं आज भी है जिससे उक्त अपील चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारीज है।

5.हमने उपस्थित वकील अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्टस की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त आराजी गिरधारीलाल की खातेदारी भूमि रही थी। प्रकरण के तथ्यो को समग्रता से देखने पर प्रथम दृष्टया यह है कि मृतक गिरधारी के दो जयंदा पुत्रिया नर्मदा (कायम मुकाम अपीलांट)व बिदामी (रेस्पो. सं.2) है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेण्ट सं. 1 रतनलाल के पक्ष में वर्ष 1972 को रजिस्टर्ड गोदनामा जिस पर वर्ष 1978 में कमी स्टाम्प डयूटी द्वारा दानपत्र की भी संज्ञा दी गई । इसप्रकार मृतक गिरधारी के तीन वारिस प्रतीत होते है। वकील रेस्पोडेण्ट का यह कथन है कि वर्ष 1972 में दर्ज गोदपत्र व दानपत्र अनुसार अकेले रतनलाल का ही विधि अनुसार बनता है। स्वीकार किये जाने योग्य नही है। क्योकि विधिक दृष्टि में पिता की सम्पति में जायदा एवं गोद पुत्र तथा पुत्रीयों सभी का बराबर हक हिस्सा बनता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट की माता तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को नही सुना गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

जालोर के प्रकरण संख्या 36/2020 निर्णय दिनांक 31.07.2023 तथा अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 48 दिनांक 21.07.92 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त विचारणीय प्रकरण पर चस्पा(लागु) नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 36/2020 निर्णय दिनांक 31.07.2023 तथा अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 48 दिनांक 21.07.92 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, भाद्राजून को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट सहित सभी वारिसान को साक्ष्य सुनवाई पर्याप्त अवसर देकर तथा विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरणकरण पारित करने की कार्यवाही करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

8/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक .....8/9/24..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

8/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)